



सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007, उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा  
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: के०जी०बी०वी०/

/2019-20 दिनांक 05/12/2019

विषय: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1004/68-5-2019 दिनांक 27 नवम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन हेतु जारी गाइड लाइन्स के आलोक में अल्पसंख्यक वर्ग की पात्र बालिकाएं उपलब्ध न होने पर SC, ST, OBC की बालिकाओं को 75% की सीमा तक प्रवेश कराते हुए शत-प्रतिशत नामांकन पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त शासनादेश की छायाप्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि दिये गये निर्देशों के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।  
संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)  
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: के०जी०बी०वी०/

4242 /2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ०प्र०।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
6. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त वार्डन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही करायें।

(विजय किरन आनन्द)  
राज्य परियोजना निदेशक

संख्या-1084/68-5-2019

प्रेषक

रेणुका कुमार  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जनपद, उ०प्र०।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2019

विषय:- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की गाइड लाइन्स के प्रस्तर-5(VIII) एवं रिवाइज्ड गाइड लाइन के प्रस्तर-4(VIII) में निम्नवत उल्लेख है-

In view of the targeted nature of the scheme, 75% girls from SC,ST,OBC or Minority communities would be accorded priority for enrolment in such residential schools and only thereafter, 25% girls from families below poverty line.

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन हेतु जारी गाइड लाइन्स के आलोक में अल्पसंख्यक वर्ग की पात्र बालिकाएं उपलब्ध न होने पर SC, ST, OBC की बालिकाओं को 75% की सीमा तक प्रवेश कराते हुए शत-प्रतिशत नामांकन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

( रेणुका कुमार )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ०प्र०।
  - 2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
  - 3- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०।
  - 4- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
  - 5- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
  - 6- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
  - 7- गार्ड बुक।

भवदीया,

( उमेश कुमार तिवारी )  
अनुसचिव।

04-50-1512.doc

Scanned by CamScanner